पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 845/अका./का.प./2005 रायपुर, दिनांक 20/4/2005

विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12 अप्रैल 2005 को सायं 5.00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए –

1. प्रो. बी.पी. चन्द्रा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो. ओ.पी. वर्मा, रेक्टर	–	सदस्य
3. प्रो. हर्षवर्धन तिवारी	–	सदस्य
4. प्रो. एम.ए. खान	–	सदस्य
5. प्रो. बी.के. मेहता	–	सदस्य
6. प्रो. हेमलता मोहबे	–	सदस्य
7. प्रो. ए.के. बंसल	–	सदस्य
8. डॉ. जी.डी. साव	–	सदस्य
9. डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
10 श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

विषय क्रमांक 1.

28/1/05 10

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.02.2005 तथा आपातिक बैठक दिनांक 12.02.2005, 14.03.2005 एवं 28.03.2005 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.02.2005 तथा आपातिक बैठक दिनांक 12.02.2005, 14.03.2005 एवं 28.03.2005 के कार्यवृत्तों की संपुष्टि की गई।

विषय क्रमांक 2.

विश्वविद्यालय में सेवारत लैब टेक्नीशियन को संशोधित वेतनमान देने के संबंध में समिति द्वारा दिनांक 11.03.2005 में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : लैब टेक्नीशियन को संशोधित वेतनमान देने के संबंध में गठित समिति के सदस्य डॉ. एम.ए. खान तथा डॉ. जी.एल. मुंदड़ा द्वारा बैठक दिनांक 11.03.2005 में की गई अनुशंसा अनुसार दिनांक 01.01.1996 से अथवा उनके उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने (जो बाद का हो) से वेतन मान रूपये 5500–175–9000 प्रदान करने की अनुमति दी गई, बशर्ते संबंधित कर्मचारी उक्त पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं पूरी करता हो।

विषय क्रमांक 3.

कम्प्यूटर आपरेटरों को उच्च वेतनमान रू 8000–13500 प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर के स्वीकृत पद में उल्लेखित वेतनमान (विश्वविद्यालय के वरिष्ठ तकनीकी सहायक के वेतनमान के समकक्ष) के अनुरूप रू. 8000–13500 अनुमोदित किया गया, बशर्ते संबंधित कम्प्यूटर आपरेटर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता पूरी करता हो। यह वेतनमान उन्हें दिनांक 01.01.1996 अथवा उनके उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने (जो बाद का हो) से प्रदान करने की अनुमति दी गई।

विषय क्रमांक 4.

विश्वविद्यालय में कार्यरत फोटोग्राफर श्री सुरेश यादव एवं फील्ड असिस्टेंट श्री गयाराम देवांग के प्रकरण पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : श्री सुरेश यादव फोटोग्राफर को समिति की अनुशंसा अनुसार दिनांक 01.01.1996 से 5000–8000 वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, बशर्ते वे इस हेतु निर्धारित आर्हताएं पूरी करते हो।

समिति के अनुशंसा अनुसार श्री गयाराम देवांगन को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत निर्मित परिनियम 31 की कंडिका 18 में दिये गये संशोधित वेतनमान रू. 3050-4590 दिनांक 01.01.1996 से प्रदान करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है। समिति अनुशंसा अनुसार इन्हे स्वीकृति दी जाती है, बशर्ते वे इस हेतु निर्धारित अर्हताएं पूरी करता हो।

विषय क्रमांक 5.

विश्वविद्यालय में वर्तमान में पदोन्नत कनिष्ठ अधीक्षकों को छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक 468/29/वि./नि./चार/2003, दिनांक 11.03.2003 के तहत रू. 250/– प्रतिमाह विशेष वेतन स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के अभिमत के अनुसार कनिष्ठ अधीक्षकों को मूलभूत नियम 22 डी. अथवा 22 ए/1 का लाभ देते हुए रूपये 250 विशेष वेतन दिनांक 01.01.1996 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 6.

डॉ. रामाधार शर्मा, तकनीकी अधिकारी को इलाज हेतु व्यय की गयी राशि रू. 50,153.45 की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि डॉ. रामाधार शर्मा के स्लिप डिस्क ऑपरेशन का व्यय (रू. 27,000 लगभग) का परीक्षण पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यायल, रायपुर अथवा सेक्टर–9 हास्पिटल भिलाई से कराकर उनके द्वारा निर्धारित दर के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाये। आपरेशन से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति की जाये।

विषय क्रमांक 7.

एस्कार्ट फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, दुर्ग को धमतरी स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 8.

जैविकी अध्ययन शाला में शोध कार्य हेतु DM-1000 B Fluorescent Microscope उपकरण एवं अन्य सहायक सामग्री मूल्य रू. 8,48,735.10 (समस्त करों, उपकरों सहित) गुणवत्ता के आधार पर क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 9.

वार्षिक/पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2004 के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में अनुचित साधन सम्बन्धी प्रकरण के लिए समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई कार्यवाही अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुचित साधन संबंधी प्रकरण के लिए गठित समिति की अनुशंसानुसार संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 10.

निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके सामने दर्शाये गये विषय/विषयों में शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उपाधि समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना –

1. सेंट थॉमस कालेज, भिलाई	– माईक्रोबायलाजी
2. भिलाई इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, दुर्ग	–1. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इंजी. 2. मेकेनिकल इंजीनियरिंग
3. शास. डी.के. स्नात. महा. बलौदाबाजार	– राजनीति विज्ञान

निर्णय : समिति के अनुसंशा अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 11.

श्री डी.पी. पटेल, स्टेनाग्राफर को दिनांक 23.04.1990 से वेतनमान रू. 1640–2900/– वेतन निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : नियमानुसार वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 12.

विनियम क्रमांक 89(ए) में संशोधन करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : विनियम क्रमांक 89(ए) संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि स्वामी आत्मानंद स्मृति चिन्ह का एवार्ड प्रति वर्ष 12 जनवरी को अथवा कार्यपरिषद द्वारा निर्धारित तिथि को प्रदान किया जावे।

विषय क्रमांक 13.

विनियम क्रमांक 90 में संशोधन करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. एकादश दीक्षांत समारोह में मंच पर अति विशिष्ट अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के बैठने के प्रश्न पर विचार करना

निर्णय : निर्णय लिया गया कि श्री प्रेम प्रकाश पांडे अध्यक्ष विधान सभा को अतिविशिष्ट अतिथि तथा श्री राजेश मूणत मंत्री लोक निर्माण एवं स्कूल शिक्षा, श्री सच्चिदानंद जोशी, कुलपति, कुशाभाऊ ठाकुरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय एवं श्री सुनील सोनी महापौर, रायपुर नगर निगम को विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन होने की स्वीकृति दी गई।

2. विश्वविद्यालय की अधोसंरचना के लिए राज्य शासन द्वारा आबंटित राशि रू. 1.00 करोड़ की सूचना।

निर्णय : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005 – 2006 के बजट में विश्वविद्यालय के अधोसंरचना हेतु रू. 1.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। शासन द्वारा इस हेतु 1.00 करोड़ रू. निर्गमित करने के लिए प्रस्ताव भेजने के संबंध में सूचित किया गया है तथा इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः भेजे गये प्रस्ताव के तहत Extension of Geography Department, Advanced Centre for Tribal Studies and Boundary Wall, Parking, Security Room for Administrative Building से संबंधित निर्माण कार्य हेतु रू. 1.00 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव सहित उक्त राशि निर्गमित करने के लिए की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई। अतः इस संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया।

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बस्तर उपकेन्द्र के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक भवन जमीन आवंटन एवं सेटअप के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 74/04, दिनांक 02.11.2004 के आधार पर बस्तर उपकेन्द्र संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजी गई जिसमें रूरल टेक्नालाजी, हर्बल साइंस एवं टेक्नालॉजी, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन, मानव विज्ञान एवं ट्राइबल स्टडिस एवं फारेस्ट्री संबंधी प्रस्ताव है। इसी प्रकार बस्तर उपकेन्द्र पर प्रशासनिक एवं परीक्षा संबंधी जानकारी की व्यवस्था तथा ग्रंथालय की व्यवस्था हेतु भी शासन को पत्र लिखकर पद स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। शासन द्वारा बस्तर उपकेन्द्र हेतु रू. 5.00 लाख प्राथमिक तौर पर स्वीकृत किया गया है, जो प्राप्त हो चुका है। बस्तर उपकेन्द्र के जमीन आवंटन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समिति भेजी गई थी। समिति के सुझाव के अनुसार कलेक्टर बस्तर द्वारा 25 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, रायपुर को अपने पत्र क्रमांक /क/रीडर/भूमि आवं./2005, दिनांक 07.04.2005 द्वारा सूचित किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

4. विश्वविद्यालय में वर्ष 1989 से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय : इस विषय पर जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय के द्वारा शासन को स्वीकृत पद, रिक्त पद की जानकारी एवं आज की परिस्थिति में अतिरिक्त पद की जानकारी देते हुए कुल 88 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या दर्शाते हुए सेटअप की स्वीकृति हेतु भेजी गई, जैसे ही शासन से सेटअप की स्वीकृति प्राप्त होती है आरक्षण नियमानुसार आगामी कार्यवाही किया जावेगा। सूचना ग्रहण की गई।

8. नवीन पाठ्यक्रम एम.फार्मा के अध्यादेश को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.04.2005 के अनुशंसानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

9. समन्वय समिति के आपातिक बैठक दिनांक 24.03.2005 में अनुमोदित परिनियम क्रमांक 27 (ए) की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

10. प्रो. एम.ए. खान द्वारा पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों पर विलंब होने संबंधी जानकारी चाही गई।
निर्णय : सदस्यो द्वारा पेंशन के निराकरण के संबंध में ध्यानाकर्षण पर गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि पेंशनरों को विलंब से पेंशन प्राप्त होने से पेंशन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती अतः प्रशासन, कुलसचिव, कुलपतिजी, संबंधित विभाग के विभाग प्रमुख से चर्चा कर इस कार्य में गतिशीलता लावें ताकि पेंशनरों को सेवानिवृत्त होने के एक या अधिकतम दो माह के अन्दर पेंशन प्राप्त हो सके। प्रो. आर.डी. हेलोडे के पेंशन प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनके प्रकरण में चाही गई जानकारी अविलंब भेजी जाये तथा इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाये।

11. भौतिकी अध्ययन शाला को डी.एस.टी. नई दिल्ली द्वारा एफ.आई.एस.टी. प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राप्त राशि रू. 30.00 लाख मे से 13,08,331.00 रू. के (समस्त करों सहित) टेलिस्कोप एवं ऐसेसरिस मेसर्स ओसीयन साईट फोटो एण्ड टेलिस्कोप यू.एस.ए. से आयात करने हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : राशि रू. 13,08,331.00 की स्वीकृति प्रदान करने की सूचना ग्रहण की गई।

12. यू.आई.टी. के लिए शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति
निर्णय : यू.आई.टी द्वारा स्ववित्तीय विभाग के अन्तर्गत डायरेक्टर द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक विभिन्न पदों का सृजन किया है तथा स्वीकृति हेतु अनुशंसा विभिन्न किया है। अनुशंसा स्वीकृत किया गया यह भी निर्णय लिया गया कि शासन के नियमों एवं 100 बिंदु आरक्षण का पालन किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलपति   कुलसचिव

पृ. क्रमांक /अका./का.प./2005 / 846   रायपुर, दिनांक ..../5/2005
प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन छत्तीसगढ़, रायपुर
2. समस्त सदस्यों को,
3. वित्ताधिकारी,
4. सहायक सचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

कुलसचिव